



नगर पालिका, पिंडवारा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/PINDWARA/FIRENOC/2025-26/53721
जारी दिनांक: 18-SEP-2025 वैधता दिनांक: 17-SEP-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SITA RAM
आवेदक का पता: ND78JAYKAYPURAM BASANTGARH

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन LPSSCHOOL, JAYKAYPURAM, BASANTGARH JK LAKSHMI CEMENT, JAYKAY PURAM, , SIROHL, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथी से उपरोक्तानुसार अवधि हेतु ही मान्य होगा, उक्त अवधि पूर्ण होने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. भवन/परिसर के समस्त स्टाफ व सिविलीटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता तो प्रबंधक को मान्य होगा, राज्य सरकार द्वारा फायर सैस निर्धारित किया जाता है तो जमा कराने हेतु पाबन्द रहेंगे।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिषंशा पत्र निरस्त माना जायेगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन/परिसर के अंदर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टॉवर कि ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार विवाद हेतु यह बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिये मान्य नहीं है, जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, वहाँ पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Signed by: Mahendra Kumar Rajpurohit
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: PINDWARA, Rajasthan
Date: 18/09/2025 13:40:21

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, पिंडवारा